(ii) BCCL: Welfare Board—There are 10 Members from the unions in addition to members from the management of BCCL and one member from CIL's Welfare Board.

(iii) CCL: By a monitoring Cell at the company's Head Quarters.

(iv) NCL: By a Sub-Committee of NCL's Welfare Board. This is a Bipartite Committee consisting of members both from unions and management.

(v) WCL: By Welfare Board and its three Sub-Committees which consist of management and Union representatives.

(vi) SECL: Community Development works are executed and monitored directly by the Welfare Department at the corporate level.

(vii) MCL: By a Committee—This consists of CMD, District Collector, MP and MLA representing the coalfields.

(viii) CMPDIL: The Community Development works are approved by the Functional Directors and executed by the concerned Department.

(ix) NEC/CIL: By a Committee consisting of management and unions representatives.

राज्य व्यापार निगम द्वारा मध्य प्रदेश में निर्यात हेतु निर्धारित वस्तुएं

2517. श्री राघव जी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान मध्य प्रदेश से कौन-कौन सी वस्तुएं निर्यात की तथा उनमें से प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना-कितना था;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा मध्य प्रदेश से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार ढूंढने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा इन वस्तुओं की सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के प्रत्येक राज्य में निगम का एक-एक कार्यालय खोलने का विचार रखती है; यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रामैया): (क) मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल स्थित राज्य व्यापार निगम की शाखा एक वित्तीय वर्ष के आधार पर अपने लेखाओं/रिकार्डों को रख रही है। तदनुसार, वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान इस शाखा द्वारा निर्यात की गई प्रमुख मद—रैपसीड मील, साल तेल रहित खली इत्यादि जैसे अन्य निस्सारणों सहित निस्सारणों का मूल्य नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रु०)

मद	1994-95	1995-96
सोयाबीन मील	28.95	46.32
रैपसीड मील	0.95	2.72
साल तेल रहित खली	0.42	0.01
सूरजमुखी मील	—	0.10
	30.32	49.15

राज्य व्यापार निगम की बम्बई स्थित शाखा ने भी मुख्यतः मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त होने वाले निस्सारणों का निर्यात किया है, इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु०)

मद	1994-95	1995-96
सोयाबीन मील	7.50	30.34
रैपसीड मील	0.60	2.56
सनफ्लावर सीड निस्सारण	0.09	0.06
अन्य	0.02	—
	8.27	32.96

(ख) देश के कुल सोयासीड उत्पादन और परिणामी तेल रहित खली/निस्सारणों का लगभग 80% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। सोयाबीन मील और अन्य निस्सारणों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए, राज्य व्यापार निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

— तेल तथा तेल रहित खली प्राप्त करने हेतु प्रसंस्कृत तिलहन की अनेक विलायक निस्सारण इकाइयों के साथ मिलकर प्रसंस्करण व्यवस्था करना;

— स्टॉक और बिक्री प्रचालनों के तहत निर्यात हेतु बाजार से निस्सारण/तेल रहित खली स्थानीय रूप से प्राप्त करना।

इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार निगम मध्य प्रदेश राज्य में रायपुर से निर्यात हेतु चावल प्राप्त करने की संभावनाओं का भी पता लगा रहा है।

(ग) और (घ) देश के प्रत्येक राज्य में कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव राज्य व्यापार निगम के विचाराधीन नहीं है। देश के अनेक भागों में स्थित राज्य व्यापार निगम के मौजूदा 19 शाखा कार्यालय निर्यात आवश्यकताओं, आपूर्ति आधार के विकास और आयात वितरण को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

जनजातीय, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार अनुमानित संख्या

2518. **श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह:**
श्री अजीत जोगी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर जनजातीय, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उनकी मुक्ति तथा पुनर्वास हेतु तैयार की गई/किये जाने वाले कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक मुक्त किये गये/पुनर्वासित किये गये बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार संख्या विशेषकर मध्य प्रदेश में कितनी-कितनी है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को, विशेषकर मध्य प्रदेश को, इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर जनजातीय, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(च) क्या बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उन्हें मुक्त करने तथा पुनर्वासित करने हेतु कोई समिति गठित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा समिति ने क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (ग) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 2,51,424 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई है जिनमें से 2,30,915 बंधुआ श्रमिकों को, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत पुनर्वासित किया गया है। जिसमें प्रति बंधुआ श्रमिक के लिए 10,000/- रु० की अधिकतम सीमा की पुनर्वास सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा (50:50) आधार पर बराबर-बराबर वहन किया जाता है। पहचान किए गए/मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्गत की गई निधि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसी निधि की मांग नहीं की गई है। क्षेत्र-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन निर्गत की गई राशि

(रु० लाखों में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
आन्ध्र प्रदेश	101.41	31.25	79.37
बिहार	6.18	6.61	—
कर्नाटक	171.50	42.66	2.84
केरल	6.03	—	—
उड़ीसा	5.75	0.39	1.63
राजस्थान	1.69	3.28	5.70
तमिलनाडु	1.59	1.12	—
कुल	294.15	85.31	89.54